



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:13694-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित
सुरक्षित : 04.02.2026
प्रदत्त : 20.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 1145 सन् 2026

अंशुल राना

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

प्रमुख सचिव, राजस्व, लखनऊ के माध्यम से उ.प्र. राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:- आदित्य तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:- सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 25

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

(माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा उ.प्र. राज्य मानवाधिकार आयोग (जिसे इसके पश्चात् "आयोग" कहा जाएगा) द्वारा वाद संख्या 4294/24/75/2022, जो 20.12.2022 को पंजीकृत हुई, में दिनांक 11.03.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए संस्थित की गई है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत का निस्तारण इस उल्लेख के साथ किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत के संदर्भ में कोई आगे की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आयोग ने याचिकाकर्ता की शिकायत को किसी सकारात्मक कार्रवाई के बिना बंद कर दिया है, इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि याचिकाकर्ता की व्यथा का निराकरण अभी भी शेष है।

4. याचिकाकर्ता ने प्रारंभ में अपने दिनांक 20.11.2022 के पत्र द्वारा एक शिकायत की थी, जो वाद संख्या 4294/24/75/2022 के रूप में पंजीकृत की गई, और तत्पश्चात् आयोग के समक्ष कार्यवाही में दिनांक 15.12.2024 का एक आवेदन प्रस्तुत किया, जो रिट याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 10 के रूप में संलग्न है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा एक विशिष्ट बिंदुवार शिकायत की गई है, जो कुल 14 बिंदुओं में है।

5. आयोग ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर प्रारंभ में विचार करते हुए दिनांक 20.12.2024 के आदेश द्वारा जिलाधिकारी, बरेली से रिपोर्ट मांगी, जो एक टाइपिंग त्रुटि के कारण हुई, क्योंकि वास्तव में यह जिलाधिकारी, सम्भल से होनी चाहिए थी। तथापि, अपर जिलाधिकारी (नगर), बरेली ने अपने दिनांक 21.01.2025 के पत्र द्वारा विषय को जिलाधिकारी, सम्भल के कार्यालय को अग्रेषित किया एवं उसकी एक प्रति सूचनार्थ आयोग को भी प्रेषित की। तत्पश्चात्, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सम्भल ने अपने दिनांक 12.02.2025 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि दिनांक 15.12.2024 की शिकायत की जाँच तहसीलदार, सम्भल द्वारा कराई गई, जिन्होंने अपनी दिनांक 12.02.2025 की रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि नाले के प्रवाह एवं तालाब की भूमि तथा याचिकाकर्ता की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में पक्षकारों के मध्य विवाद का समाधान हो गया है। आयोग ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सम्भल द्वारा दिनांक 12.02.2025 के पत्र से प्रस्तुत रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए दिनांक 11.03.2025 का आदेश पारित करने की कार्यवाही की, जो प्रस्तुत रिट याचिका में चुनौती के अधीन है।

6. हमने आयोग द्वारा दिनांक 11.03.2025 को पारित आदेश का अवलोकन किया है, जिसमें अंकित है कि याचिकाकर्ता की विवादित भूमि, अर्थात् गाटा संख्या 132, जिसका क्षेत्रफल 0.154 हेक्टेयर है एवं जो ग्राम मुम्बई ठाकुरान, सम्भल में स्थित है और राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6(2) की आबादी भूमि के रूप में दर्ज है, के संबंध में उपखंड अधिकारी, सम्भल ने



20.05.2021 को पक्षकारों के मध्य विवाद के समाधान हेतु हितबद्ध पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् उनकी सहमति से गाटा संख्या 132 से होकर नाला निर्मित किया गया है एवं उसे तालाब से जोड़ा गया है, जिससे जलभराव की समस्या का समाधान हो सके। अन्य गाटा संख्या 130 के संबंध में दिनांक 11.03.2025 के आदेश में यह अंकित है कि उक्त भूमि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता की निजी भूमि है एवं वह याचिकाकर्ता के कब्जे में है। अन्य गाटा संख्याओं 123, 131 एवं 128 के संबंध में यह अंकित किया गया है कि उक्त भूखंड ग्राम समाज के हैं एवं सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि हैं। यह भी अंकित किया गया है कि गाटा संख्या 134 राजस्व अभिलेख में तालाब के रूप में दर्ज है एवं अतिक्रमण से मुक्त है।

7. उपर्युक्त तथ्य दिनांक 11.03.2025 के आदेश में, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सम्भल द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12.02.2025 की रिपोर्ट के आधार पर अंकित किए गए हैं। आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई 14 बिंदुओं की शिकायत पर विचार किया है, जिनमें से शिकायत के बिंदु 1 एवं 2 याचिकाकर्ता की भूस्वामित्व संपत्ति के संबंध में थे, जबकि बिंदु संख्या 3 से 5 सार्वजनिक उपयोगिता भूमि के संबंध में थे, जिनके संदर्भ में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सम्भल की दिनांक 12.02.2025 की रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके थे। शिकायत के बिंदु 6 से 14 के संदर्भ में, आयोग ने यह पाया कि ऐसी शिकायत के संबंध में याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल की न्यायालय में वाद संख्या 58 / 2021 पहले ही दायर कर दिया है, जो विचाराधीन है। ऐसी परिस्थितियों में, आयोग ने दिनांक 11.03.2025 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत का निस्तारण यह अंकित करते हुए किया कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत के संदर्भ में कोई आगे की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करते हुए, हम आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत की प्रकृति तथा आयोग द्वारा ऐसी शिकायत के अनुसरण में दिनांक 11.03.2025 के आदेश द्वारा शिकायत का अंततः निस्तारण करते समय उठाए गए कदमों का विश्लेषण करते हैं। रिट याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 10 के रूप में संलग्न याचिकाकर्ता के दिनांक 15.12.2024 के आवेदन के अनुसार शिकायत से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता का प्राथमिक आरोप उसकी निजी भूमि, अर्थात् गाटा संख्या 130, तथा आबादी भूमि, अर्थात् गाटा संख्या 132 से होकर नाले के पारित होने के भार-मुक्ति अधिकार एवं गाटा संख्या 134 जो राजस्व अभिलेख में तालाब के रूप में दर्ज है, से अतिक्रमण हटाने के संबंध में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवाद से संबंधित है। दिनांक 15.12.2024 की शिकायत में आगे के आरोप याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा करते समय प्राधिकारियों की मनमानी के संबंध में हैं।

9. जब हम सांविधिक अधिनियम की योजना, अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (जिसे इसके पश्चात् "अधिनियम, 1993" कहा जाएगा) का अवलोकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि अधिनियम, 1993 की धारा 21 राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का उपबंध करती है। धारा 21(5) यह उपबंध करती है कि राज्य आयोग केवल उन विषयों के संदर्भ में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II एवं सूची III में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित हों, अर्थात् वे राज्य विषय जो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में उल्लिखित हैं। "मानवाधिकार" पद को धारा 2(1)(d) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में समाहित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार जो भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हों। अतः राज्य आयोग को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II एवं सूची III में प्रगणित किसी भी प्रविष्टि से संबंधित विषयों के संदर्भ में धारा 2(1)(d) के अंतर्गत परिभाषित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने की शक्ति प्राप्त है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 15.12.2024 की अपनी शिकायत के माध्यम से आयोग के समक्ष उठाए गए विवाद/शिकायत की प्रकृति यह दर्शाती है कि वे याचिकाकर्ता के संपत्ति विवाद से संबंधित हैं, जिसके लिए सामान्य सिविल विधि जैसे संपत्ति संबंधी विधि तथा उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत सांविधिक प्रावधानों के माध्यम से पहले से ही उपचार उपलब्ध है, अर्थात् सार्वजनिक उपयोगिता भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु धारा 67 एवं व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित धारा 134। इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वाद जी. मणिक्यम्मा बनाम रौद्री कोऑप. हाउसिंग सोसायटी लि., (2014) 15 एस.सी.सी. 197 में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उचित है। उक्त के अनुच्छेद संख्या 40 से 46 निम्नानुसार उद्धृत किए जाते हैं:-

40. मानवाधिकार आयोग, हमारे विचार में, उपर्युक्त विषयों की परीक्षा के लिए सक्षम मंच नहीं होगा। प्रथम प्रतिवादी सोसायटी तथा अतिक्रमणकर्ताओं दोनों ने, हमारे विचार में, विधि में उपलब्ध उचित उपचारों का अनुसरण करने के बजाय मानवाधिकार आयोग का क्षेत्राधिकार गलत तरीके से आह्वान किया, और मानवाधिकार आयोग बिना किसी क्षेत्राधिकार के अधिकार का प्रयोग करने को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अत्यधिक तत्पर था। हम यह भी मत रखते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस वाद में विधिक विषयों के निर्धारण की अपेक्षा अधिक मध्यस्थता गतिविधि का सहारा लिया।

41. हमारे विचार में, मानवाधिकार आयोग को संपत्ति के स्वामित्व एवं कब्जे के विवादित प्रश्नों से निपटने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

42. हम यह स्पष्ट करते हैं कि पी.टी. मुनिचिक्कन्ना रेड्डी बनाम रेवम्मा [(2007) 6 एस.सी.सी. 59] में, इस न्यायालय ने किराये पर दी गई संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के दावे के प्रभाव की उस व्यक्ति के दावे के संदर्भ में परीक्षा की थी जिसके पक्ष में वैध स्वामित्व है। इस न्यायालय ने ब्यूलेन प्रापर्टीज लि. बनाम पामर [(2005) 3 डब्ल्यू.एल.आर. 554] और जे.ए. पाई (ऑक्सफोर्ड) लि. बनाम यूनाइटेड किंगडम [2005 ई.सी.एच.आर. 921] का परीक्षण करने के पश्चात् अभिमत व्यक्त किया: (पी.टी. मुनिचिक्कन्ना रेड्डी प्रकरण, एस.सी.सी. पृ. 77, अनुच्छेद 43)

"43. मानवाधिकारों को ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत अधिकारों जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय एवं रोजगार का अधिकार आदि के क्षेत्र में माना जाता रहा है, किंतु अब मानवाधिकार बहुआयामी आयाम प्राप्त कर रहे हैं। संपत्ति का अधिकार भी नए आयाम का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अतः प्रतिकूल कब्जे के दावे को भी उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। अंग्रेजी न्यायालयों का सक्रिय दृष्टिकोण ब्यूलेन प्रापर्टीज लि. बनाम पामर 2005 EWHC 817 : (2005) 3 WLR 554 : (2005) 4 All ER 461 (Ch)] एवं जे.ए. पाई (ऑक्सफोर्ड) लि. बनाम यूनाइटेड किंगडम [J.A. पाई (ऑक्सफोर्ड) लि. बनाम यूनाइटेड किंगडम, (2005) 49 ERG 90 : 2005 ECHR 921] के निर्णयों से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। न्यायालय ने यहाँ प्रतिकूल कब्जे के संदर्भ में मानवाधिकार स्थिति को पढ़ने का प्रयास किया। किंतु जो सराहनीय है वह यह है कि मानवाधिकारों के



आयाम इतने विस्तृत हो गए हैं कि अब संपत्ति विवाद के मुद्दे भी मानवाधिकारों की परिधि में उठाए जा रहे हैं।"

43. पी.टी. मुनिचिक्कन्ना रेड्डी प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के अंतर्गत दायर एक वाद से उत्पन्न हुआ था, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी दोनों ने विवादित संपत्ति पर अपने स्वामित्व का दावा किया था। वादी ने विकल्पतः यह दावा किया कि उसने प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व परिपूर्ण किया है। यह एक ऐसा मामला था जहाँ संपत्ति के मूल स्वामी ने वही भूखंड वाद के दोनों पक्षकारों को बेचा था। प्रतिवादी के पक्ष में विक्रय, वादी के पक्ष में विक्रय से पूर्व का है। उपर्युक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने प्रश्न की परीक्षा की। पी.टी. मुनिचिक्कन्ना रेड्डी प्रकरण [पी.टी. मुनिचिक्कन्ना रेड्डी बनाम रेवम्मा, (2007) 6 SCC 59]. इस प्रस्थापना के लिए कोई प्राधिकार नहीं है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत गठित मानवाधिकार आयोग, चाहे राष्ट्रीय हो या राज्य, स्वामित्व एवं कब्जे के विवादित प्रश्नों का निर्णय करने में सक्षम हैं।

44. आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत प्रगणित हैं, जो निम्नानुसार हैं:

"12. आयोग के कार्य.— आयोग निम्नलिखित में से सभी या कोई कार्य करेगा, अर्थात्—

(क) किसी पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर या स्वप्रेरणा से, निम्न की शिकायत की जाँच करना—

(i) मानवाधिकारों का उल्लंघन या उसका दुष्प्रेरण; अथवा

(ii) किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ख) ऐसे न्यायालय के अनुमोदन से, किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप से संबंधित किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;

(ग) राज्य सरकार को सूचना देकर, राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी जेल या किसी अन्य संस्था का दौरा करना, जहाँ व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन से रखा या रोका गया हो, ताकि वहाँ के निवासियों की जीवन-दशाओं का अध्ययन किया जा सके और उन पर सिफारिशें की जा सकें;

(घ) मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना;

(ङ) आतंकवाद के कृत्यों सहित उन कारकों की, जो मानवाधिकारों के उपभोग में बाधा डालते हैं, समीक्षा करना और उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना;

(च) मानवाधिकारों पर संधियों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(छ) मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं उसे प्रोत्साहित करना;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना;

(झ) मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना;

(ञ) ऐसे अन्य कार्य जो वह मानवाधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे।"



उपर्युक्त भाषा से यह स्पष्ट है कि धारा 12 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानवाधिकार आयोग को संपत्ति के स्वामित्व एवं कब्जे के विवादों का निर्णय करने का अधिकार देता हो।

45. इसके अतिरिक्त, किसी सक्षम निकाय द्वारा न तो प्रथम प्रतिवादी सोसायटी एवं उसके सदस्यों के एक ओर से और न ही दूसरी ओर से अतिक्रमणकर्ताओं के, उस मामले में राज्य के अधिकारों एवं प्राधिकार की, विवादित संपत्ति पर कोई जाँच या निर्धारण किया गया है।

46. ऐसी परिस्थितियों में, हम आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग के दिनांक 17-2-2011 एवं 18-3-2011 के आदेशों तथा विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 26-12-2012 के निर्णय [रौद्री कोऑप. हाउसिंग सोसायटी लि. बनाम राजस्व विभाग, डब्ल्यू.पी. संख्या 10414 / 2011] एवं वाई. मुथ्याल बनाम रौद्री कोऑप. हाउसिंग सोसायटी [रिट अपील संख्या 580 / 2011, दिनांक 2-7-2012] के निर्णय तथा आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रौद्री कोऑप. हाउसिंग सोसायटी लि. [रिट अपील संख्या 1125 / 2013, दिनांक 20-8-2013] के निर्णय को अपास्त करना उचित समझते हैं, पक्षकारों को उचित न्यायालयों/मंचों के समक्ष यदि वे उचित समझें तो उपचार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र छोड़ते हैं। हम राज्य के अधिकारियों सहित सभी पक्षकारों को यह भी निर्देश देते हैं कि वे विभिन्न पक्षकारों के कब्जे के संबंध में आज की स्थिति यथावत् बनाए रखें, यहाँ तक कि सक्षम न्यायालय/मंच प्रथम प्रतिवादी सोसायटी के अधिकारों एवं विवादित भूमि के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं के अधिकारों का निर्धारण न कर दे, जिसका क्षेत्रफल 4 एकड़ 10 गुंठा है।

(हमारे द्वारा महत्व दिया गया)



11. शिकायत में बिंदु संख्या 5 से 14 में उल्लिखित कुछ आरोपों के संबंध में, याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल के समक्ष पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। अतः, हम यह मत रखते हैं कि वास्तव में याचिकाकर्ता की शिकायत मुख्यतः उसकी संपत्ति से संबंधित थी, जिसके लिए उसके पास सामान्य सिविल विधि के अंतर्गत एक प्रभावी उपचार विद्यमान है, और इसलिए आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत भ्रांतिपूर्ण थी एवं वास्तव में उसे अंगीकृत ही नहीं किया जाना चाहिए था। अतः हमें आक्षेपित आदेश दिनांक 11.03.2025 में कोई अवैधता या अनियमितता दृष्टिगत नहीं होती।

12. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

13. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(अमिताभ कुमार राय, न्यायमूर्ति) (श्रीमती संगीता चंद्रा, न्यायमूर्ति)

20 फरवरी, 2026

आशीष देवल